न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०– 18/2017-18

दक/प्रथम पक्ष – 1. प्रिया कुमारी पति राजेश कुमार
ग्राम – बिरहू पतराटोली, थाना खूँटी, जिला–खूँटी।
2. कमला देवी पति स्व० किनू गौंझू
ग्राम– बिरहू, थाना खूँटी, जिला–खूँटी।

विपक्षी/द्वितीय पक्ष – 1. शिवजल महतो
2. लखीचरण महतो
3. राजकिशोर महतो
4. तिजेश्वर महतो
} पिता स्व० प्रसाद महतो
ग्राम– बिरहू, थाना खूँटी, जिला–खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
22.12.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा० खा० वाद सं०–995R27/17-18 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.17 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
एरेण्डा	खूँटी 240	41	12/887	0.17½
		42	11/850	0.16
				0.33½

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि उक्त भूमि आवेदक ने 1. धनु भगत 2. बनु भगत 3. मनु भगत 4. प्रवीन कुमार से विक्री केवाला पट्टा सं0 1169 दिनांक 11.10.2017 से क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आपत्तिकर्त्ता गण 1. शिवजल महतो वो 2. लखीचरण महतो वो 3. राजकिशोर महतो वो 4. तिजेश्वर महतो सभी पिता स्व0 प्रसाद महतो रजिस्ट्री पट्टा सं0 482 दिनांक 16.09.1948 उपरोक्त भूमि का खरीदगी दावा करते है।

आवेदक गण श्रीमती प्रिया कुमारी पति राजेश कुमार वो श्रीमती कमला देवी पति कीनु गौंझू ग्राम–बिरहू द्वारा रजिस्ट्री पट्टा सं0 दिनांक 10.07.17 से क्रय किया है।

सर्वे खतियान में प्लॉट नं0 11/850 खाता नं0 42 एवं प्लॉट नं0 12/887 खाता नं0 41 के अन्तर्गत दर्ज है। आपत्तिकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत निबंधन पट्टा में प्लॉट नं0 850/घ एवं 887/ग दर्ज है जो सही नहीं है साथ ही निबंधन पत्र में खाता नं0 42 का जिक्र नहीं है। प्रस्तुत लगान रसीद में भी खाता 42 दर्ज नहीं है। आपत्तिकर्त्ता गण के द्वारा प्रस्तुत निबंधन पट्टा जो वर्ष 1948 का है परन्तु आपत्तिकर्त्ता के द्वारा मात्र एक लगान रसीद वर्ष 2014–15 का प्रस्तुत किया गया

है। जमांबदी कायम का स्पष्ट आधार नहीं है।

आपत्तिकर्त्ता गण के द्वारा आपत्ति वापस लेने संबंधी आवेदन दिया गया जो अभिलेख में संलग्न है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् आवेदक गण के अपील को स्वीकार किया जाता है। अंचल अधिकारी, खूँटी को निर्देश दिया जाता है कि आवेदकगण के पक्ष में पंजी 2 में आवश्यक सुधार करते हुए आवेदकगण के पक्ष में दाखिल खारिज करने हेतु न्यायसंगत कार्रवाई करे।

लेखापित एवं संशोधित

20/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

21/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.10 13:14:50 +05:30
Location: 192.168.225.42